कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती
E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 974 /12-1 दिनांक 11 /10 /2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0–2
नई टिहरी।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21822/ 2016.

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक संख्या–1248 / पी0–सिं0ख0–2 दिनांक 04–10–2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत मरोड़ बनाली मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग प्रस्ताव निम्न कमियों सहित मूल मे वापस किया जा रहा है।

1. आपके द्वारा ऑनलाईन भाग–01 के पैरा–A-3 में श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त का नाम अंकित किया गया है। जबकि पैरा–A-3 (xvii) में श्री अरूण कुमार नेगी का अथोरटी पत्र अपलोड किया गया है। तथा प्रस्तुत प्रस्ताव की हॉड कॉपी में श्री रमेशचन्द्र कोठारी का अथोरटी पत्र चस्पा किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।
2. भाग–01 के पैरा–(C- (ii) b) में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.015 हे0 भूमि दर्शायी गयी है जबकि प्रस्ताव मे संलग्न लैण्डशैड्यूल में आपके द्वारा 0.700 हे0 आरक्षित भूमि का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति में प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 दर्शायी गयी है जबकि आपके द्वारा 8.125 किमी0 का प्रस्ताव गठित कर कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रस्ताव में संलग्न प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में निरीक्षण की तिथि 27–06–2015 अंकित है जबकि आपके द्वारा प्रारूप–19 आरक्षित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में वृक्षों की गणना 23–12–2015 दर्शायी गयी है। स्पष्ट करें।
5. प्रस्ताव में हस्तान्तरित वन भूमि का जियों रैफरेन्शड मैप एवं टोपोशीट मैप तथा अन्य प्रपत्रों को उनके यथा स्थान पर ही चस्पा किया जाये।
6. प्रस्तावित परियोजना दो वन प्रभागों के अन्तर्गत पड़ती है जिस हेतु दोनो वन प्रभागों का बारचार्ट पृथक–पृथक तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा करने का कष्ट करें।
7. प्रस्तावित परियोजना में प्रतिबन्धित बॉज / बुरांश के 47 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जबकि आपके द्वारा प्रारूप–22 में मात्र 30 वृक्षों का ही उल्लेख किया गया है। स्पष्ट करें।
8. संलग्न प्रारूप–30 वन अधिकार अधिनियम 2006 में जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक संख्या अपेक्षित है।
9. प्रस्ताव में संलग्न पथ वृक्षारोपण प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण है।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या / , दिनांकित ।
प्रतिलिपि:– राजि अधिकारी सकलाना राजि को इस निर्देश के साथ विभाग से सम्बन्धित कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिं०ख०-2
नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Tele Phone No. :- 01376-232321
Fax No. :- 01376-232321
E-Mail ID :- eepmgsytehri2@rediffmail.com

पत्रांकः- 1569/पी०-सिं०ख०-2/ दिनांक 22/12/2018

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग,
मुनिकीरेती।

विषयः- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा बनाली मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/Uk/ROAD/21822/2016

सन्दर्भः- आपका पत्रांक संख्या -974/12-1 दिनांक 11/10/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के प्रस्तुत मरोड़ बनाली मोटर मार्ग के किमी० 3.0C से कुण्ड मोटर मार्ग प्रस्ताव की निम्न कमियों का निराकरण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्र० सं०	कमियां	निराकरण
1	आपके द्वारा ऑनलाईन भाग-01 कि पैरा-A 3 में श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त का नाम अंकित किया गया है। जबकि पैरा-A-3 (xiv) में श्री अरूण कुमार नेगी का अथोरेटी पत्र अपलोड किया गया है। तथा प्रस्तुत प्रस्ताव की हॉर्ड कॉपी में श्री रमेशचन्द्र कोठारी का आथोरटी पत्र चस्पा किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	श्री अरूण कुमार नेगी (ई०ई०) तथा श्री रमेश चन्द्र कोठारी (ए०ई०) उक्त खण्ड से स्थानान्तरण हो गये हैं। वर्तमान में ऑनलाईन भाग-01 के पैरा A-3 में अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त का नाम सही है। संशोधित हार्ड कॉपी संलग्लन है।
2	भाग-01 के पैरा- (C-(ii) (b) में नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.015 है० भूमि दर्शायी गयी है जबकि प्रस्ताव में संलग्न लैण्डशैड्यूल में आपके द्वारा 0.700 है० आरक्षित भूमि का उल्लेख किया गया है। स्पष्ट करें।	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में वनारक्षित भूमि 0.700 है० व सिविल सोयम 0.413 है० तथा नाप भूमि 0.2970 है० है जिसका कुल 1.392 है० है जो कि बार चार्ट में दर्शाया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति में प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० दर्शायी गयी है जबकि आपके द्वारा 8.125 किमी० का प्रस्ताव गठित कर कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।	वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति के दौरान मोटर मार्ग की लगभग 6.00 किमी० दर्शायी गयी थी जबकि सर्वे के दौरान वास्तविक लम्बाई 8.125 किमी० है। इस प्रकार प्रस्ताव गठित किया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि 27.06.2015 अंकित है जबकि आपके द्वारा प्रारूप-19 आरक्षित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों के विवरण में वृक्षों की गणना 23.12.2015 दर्शायी गयी है। स्पष्ट करें।	संयुक्त निरीक्षण के दौरान पेड़ों की गणना की गयी थी। वर्तमान में निराकरण करते हुये उक्त तिथि की रिपोर्ट संलग्न है।

5	प्रस्ताव में हस्तान्तरित वन भूमि का जियों रेफेरेन्शड मैप एवं टोपोशीट मैप तथा अन्य प्रपत्रों को उनके यथा स्थान पर ही चस्पा किया जाये।	प्रस्ताव में हस्तान्तरित वन भूमि का जियो रेफेरेन्शड मैप एवं टोपोशीट मैप तथा अन्य प्रपत्रों को उनके यथा स्थान पर चस्पा कर दिया गया है।
6	प्रस्तावित परियोजना दो वन प्रभागों के अन्तर्गत पड़ती है जिस हेतु दोनों वन प्रभागों का बारचार्ट पृथक–पृथक तैयार कर प्रस्ताव में चस्पा करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित परियोजना दो वन प्रभागों के अन्तर्गत पड़ती है जिस हेतु दोनों वन प्रभागों का बारचार्ट पृथक–पृथक तैयार कर प्रस्ताव में दर्शा दिया गया है।
7	प्रस्तावित परियोजना में प्रतिबन्धित बाँज/बुरांश के 47 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जबकि आपके द्वारा प्रारुप–22 में मात्र 30 वृक्षों का ही उल्लेख किया गया है। स्पष्ट करें।	प्रस्तावित परियोजना में दो वन प्रभाग होने के कारण वन प्रभाग के प्रपत्र–22 में 30 वृक्षों मसूरी वन प्रभाग के दर्शाया गया है व पृष्ट संख्या 44 में 16 बांज के वृक्षों व 01 बुराँश के वृक्ष की गणना नरेन्द्रनगर वन प्रभाग की दर्शायी गयी है। कुल बाँज/बुरांश पेडों की संख्या 47 है।
8	संलग्न प्रारूप–30 वन अधिकार अधिनियम 2006 में जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक संख्या अपेक्षित है।	संलग्न प्रारूप–30 वन अधिकार अधिनियम 2006 में जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक संख्या में अंकित कर दी गयी है।
9	प्रस्ताव में संलग्न पथ वृक्षारोपण प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण है।	वन विभाग द्वारा पथ वृक्षारोपण का पुनः प्राक्कलन तैयार कर त्रुटि सही कर दी गयी है।

संलग्न :- एक मूल एवं 05 प्रति (Color Photo)

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

22/12

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0–02
नई टिहरी

पत्र प्राप्ति की तिथि 18/1/19
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का पदनाम
कार्यालय का नाम–न.व.प्र.मुनि–की–रेती